सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही–

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2020 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गयी। **योजनावार समीक्षा के क्रम में निम्नवत निर्देश दिए गए–**

1. DAY-NULM योजना :

1.1 EST&P घटक–

1.1.1 इस घटक के तहत विभिन्न नगर निकायों यथा बिहारशरीफ में 23 SDCs, मुजफ्फरपुर में 14 SDCs, छपरा में 32 SDCs, पटना में 24 SDCs एवं गया में 19 SDCs के प्रथम एवं द्वित्तीय किस्त के विपत्र का भुगतान लंबित है। इसके अलावा अन्य नगर निकायों यथा औरंगाबाद, भभुआ, भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, फुलवारीशरीफ, पूर्णिया, बिक्रमगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान में भी भुगतान काफी समय से लंबित है। संबंधित निकायों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित विपत्र का नियमानुसार भुगतान 20 मार्च, 2020 तक करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालन प्रतिवेदन ससमय विभाग को भेजें।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

1.1.2 BSDM द्वारा विभिन्न निकायों यथा अररिया, भाहपुर, बेनीपुर, मोतिहारी, मीरगंज, गोपालगंज, जमालपुर, मुंगेर, सिलाव, बिहारशरीफ, राजगीर, बारसलीगंज, विक्रम, लालगंज, नरकटियागंज में एक–एक SDCs तथा भागलपुर में 2 SDCs उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके साथ संबंधित निकायों द्वारा एकरारनामा अबतक नही किया गया है, जिसके कारण उपलब्धि नही हो पा रही है। निदेश दिया गया कि 20 मार्च, 2020 तक एकरारनामा की प्रक्रिया पूर्ण कर विभाग को सूचित किया जाय। **(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

1.2 SUH घटक–

1.2.1 समस्तीपुर, शिवहर, गोगरी जमालपुर नगर निकाय द्वारा निर्मित आश्रय स्थलों का संचालन अबतक प्रारंभ नही किया गया है एवं इन निकायों द्वारा संचालन हेतु प्रत्येक माह नई तिथि प्रतिवेदित की जाती है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि आश्रय स्थल का संचालन 16 मार्च, 2020 तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। अन्य दोनो निकायों को निदेशित किया गया कि निर्मित आश्रय स्थलों का संचालन 23 मार्च, 2020 तक कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–कार्यपालक पदाधिकारी, समस्तीपुर, शिवहर एवं गोगरी जमालपुर)

1.2.2 औरंगाबाद, राजगीर, बोधगया एवं हवेली खड़गपुर नगर निकायों द्वारा अभी तक आश्रय स्थल हेतु भूमि चयनित नही की गई है। इन निकायों के पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि दिनांक 23 मार्च, 2020 तक भूमि का चयन कर विभाग को प्रतिवेदित करें। यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो किराये के भवन मे आश्रय स्थल के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक–460 दिनांक 26.02.2020 के माध्यम से प्रेषित की गई Expression of Interest प्रकाशित किया जाए तथा आश्रय स्थल के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि विभाग को प्रत्यर्पित किया जाय।

(अनुपालन–कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद, राजगीर, बोधगया एवं हवेली खड़गपुर)

1.2.3 वैसे नगर निकाय, जहाँ आश्रय स्थल संचालित हो रहे हैं, उनके द्वारा ALO को माह फरवरी, 2020 तक का भुगतान कर दिया जाना था, परन्तु अरवल एवं बेतिया के अतिरिक्त किसी भी

नगर निकाय के द्वारा भुगतान नही किया गया है, जबकि इस संबंध में पूर्व मे विभाग द्वारा निदेशित किया जा चुका है कि आश्रय स्थल के संचालन कार्य मे लगे ALOs का पिछले माह तक का भुगतान प्रत्येक माह के 15 तारीख तक कर दिया जाए। निदेशित किया गया कि जिन निकायों द्वारा अभी तक ALOs का भुगतान नही किया गया है, वे दिनांक 20 मार्च, 2020 तक भुगतान करना सुनिश्चित करें और अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भेजें।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

1.3 SEP घटक–

1.3.1 कुल 47 नगर निकायों में कुल 624 लाभुकों के खाता से संबंधित PAiSA पोर्टल पर खाता विवरणी की प्रविष्टि गलत है, जिसके कारण लाभुकों को सूद अनुदान का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। इसी प्रकार विभिन्न नगर निकायों यथा नवादा–90, जमालपुर–52, बाढ–44, मुजफ्फरपुर–44, सासाराम–26, किशनगंज–22, अरेराज–21, पुर्णिया–18, मनेर–16, बेनीपुर–15, बनमंखी–14, जहानाबाद–13, खगड़िया–13, हिसुआ–12, बेगुसराय–11, सिवान–10, ढाका–10 एवं बक्सर–10 लाभुकों के खाता विवरणी की प्रविष्टि NULM पोर्टल पर लंबित है। निदेश दिया गया कि संबंधित नगर निकायों द्वारा दिनांक 18.03.2020 तक लाभुकों का सही ऋण खाता संख्या NULM पोर्टल पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें तथा लाभुको का सूद अनुदान PAiSA पोर्टल पर प्रत्येक माह के 05 से 25 तारीख तक स्वीकृत करना सुनिश्चित करें ताकि लाभुको को प्रतिमाह सूद अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

1.4 SM&ID घटक–

1.4.1 सिवान, बैरगनिया, बखरी, बारसोई, बेलसंड, बोधगया, कहलगाँव, दिघवारा, जमालपुर, कसबा, खुसरुपुर, कोचस, कोईलवर, महाराजगंज, मैरवा, मुरलीगंज, रफीगंज, भोरघाटी, सुगौली एवं सुरसंड नगर निकाय के द्वारा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को चक्रचालित राशि (RF) का वितरण अभी तक नही किया गया है, जिस पर आपत्ति व्यक्त की गई। निदेश दिया गया विशेष कैम्प आयोजित कर चक्रचालित राशि (RF) का वितरण दिनांक 21 मार्च, 2020 तक करना सुनिश्चित करें एवं इसकी प्रविष्टि NULM पोर्टल पर किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन ससमय विभाग को भेजें।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय)

1.5 SUSV घटक–

1.5.1 विभिन्न नगर निकायों यथा मोतिहारी, छपरा, भागलपुर, गोपालगंज पटना, आरा, बक्सर, डुमरांव, बिहिया, मोतीपुर, दरभंगा सीतामढी एवं सासाराम में विभाग द्वारा Vending Zone स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में पिछली समीक्षा बैठक में स्पष्ट निदेश दिया गया था कि दिनांक 31.01.2020 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए, परन्तु अभी तक उक्त नगर निकायों में से किसी भी नगर निकाय के द्वारा Vending Zone का निर्माण कार्य पूर्ण नही किया गया है। निदेश दिया गया कि उक्त सभी निकाय दिनांक 31.03.2020 तक Vending Zone का निर्माण कार्य पूर्ण कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

1.5.2 विभाग द्वारा छपरा नगर निगम में चार Vending Zone स्वीकृत हैं, जिनमे से एक Vending Zone (मजरुल चौक से महमूद चौक) हेतु राशि आवंटित की जा चुकी है। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शेष 03 Vending Zone हेतु राशि शीघ्र आवंटित की जाए।

(अनुपालन–श्री अभय राज, विशेष सचिव)

1.5.3 विभागीय पत्रांक–855 दिनांक–30.04.2018 के द्वारा नगर परिषद, डुमरांव में Vending Zone के निर्माण हेतु राशि 31,19,650/–रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है एवं इसके विरूद्ध राशि 15,50,000/–रूपये आवंटित भी किए जा चुके हैं, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया गया है। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध मे कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरांव से स्पष्टीकरण पूछें।

(अनुपालन–श्री अभय राज, विशेष सचिव)

1.5.4 टाउन वेण्डिंग कमिटी की बैठक प्रत्येक तीन माह पर तथा आवश्यकता होने पर मासिक रुप से किये जाने का निदेश पूर्व में दिया गया था, परन्तु नगर निकायों द्वारा इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया जा रहा है। निदेश दिया गया कि सभी निकाय Town Vending Committee की बैठक नियमित रूप से आयोजित करें और अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भेजें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि शहरी सहभागिता मंच (Urban Participation Forum) की बैठक एवं टास्कफोर्स की बैठक इस माह में आयोजित कर कार्यवाही प्रतिवेदन विभाग को भेजें।

(अनुपालन–सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

1.6 औरंगाबाद में पूर्व से संचालित Skill Training Partners (STP) को भुगतान लंबी अवधि से लंबित है, जिस पर संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद वीडियो कांफ्रेंस में उपस्थित नहीं थे। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछें।

साथ ही वीडियो कांफ्रेंस में उपस्थित प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि लम्बित विपत्रों का नियमानुसार भुगतान 23 मार्च, 2020 तक करना सुनिश्चित करें एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को भेजें।

(अनुपालन–श्री अभय राज, विशेष सचिव/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद)

2. AMRUT योजना :

2.1 अमृत योजनांतर्गत जलापूर्ति योजनाओं के शीघ्र एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु आरा, पूर्णिया, सिवान, बेगुसराय, बक्सर एवं सासाराम के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि स्थल संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर, अवरोध रहित स्थल शीघ्र ही बुडको को उपलब्ध करायी जाय ताकि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो सके। साथ ही विभाग को भी कृत कार्रवाई से अवगत कराएं।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी)

2.2 संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अमृत योजना के Funding Pattern के अनुसार जिन नगर निकायों द्वारा अमृत योजना से संबंधित नगर निकाय का अंश बुडको को हस्तांतरित नहीं किया गया है, वे अविलंब बुडको को उक्त राशि हस्तांतरित करें एवं प्रतिवेदन विभाग को भेजें। **(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

2.3 सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि पार्क निर्माण से संबंधित अधूरे कार्य को तुरंत पूर्ण कराया जाए। विभाग द्वारा अमृत योजनांतर्गत 29 पार्कों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से मात्र सासाराम का एक पार्क (S. P. Jain College Park) का कार्य पूर्ण हुआ है। 4 पार्कों में SOR एवं Non-SOR items का कार्य प्रगति में है। 17 पार्कों के SOR items का कार्य प्रगति में है किन्तु Non-SOR items का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। 06 पार्कों की निविदा का निष्पादन नहीं हुआ है, जबकि 01 पार्क (DMCH, दरभंगा) का DPR अनुमोदित है, किन्तु निविदा नहीं हुई है। संबंधित नगर निकायों

एवं बुडको को निदेश दिया गया कि पार्क से संबंधित on-going योजनाओं के कार्य में प्रगति लाई जाए एवं बाकी बची योजनाओं की निविदा/कोटेशन का तुरंत निष्पादन कराया जाए ताकि योजना के क्रियान्वयन में विलंब नहीं हो। कार्य प्रगति संबंधी प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराएं।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी)

2.4 नगर आयुक्त, कटिहार नगर निगम को निदेश दिया गया कि Faecal Sludge and Septage Management (FSSM) योजना के स्थल का शीघ्र चयन कर निविदा प्रक्रिया आरंभ की जाए। अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भेजें।

(अनुपालन–नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार/संबंधित कार्यपालक अभियंता, बुडको)

3. SBM योजना :

3.1 भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों का 31 मार्च 2020 तक अंतिम भुगतान किया जाना निर्धारित है, जिसके अनुसार भौतिक प्रगति 25 मार्च 2020 तक पूर्ण कराकर ही भुगतान करना है। निदेश दिया गया कि दिनांक 31 मार्च 2020 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजा जाए, ताकि भारत सरकार को संसूचित किया जा सके तथा व्यक्तिगत शौचालय में शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति उक्त तिथि तक सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

3.2 सभी निकायों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सामुदायिक शौचालय/मोबाईल टॉयलेट का निर्माण एवं क्रय 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराया जाय। इस हेतु जिन निकायों में टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वे दिनांक 20 मार्च, 2020 तक Work Order निर्गत करें और विभाग को राशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव भेजें। यदि किसी नगर निकाय द्वारा लक्ष्य में किसी प्रकार के संशोधन किए जाने की आवश्यकता है तो अद्यतन प्रस्ताव शीघ्र विभाग को भेजें।

(अनुपालन–सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

3.3 सभी शहरी निकायों को मार्च 2020 तक ODF श्रेणी प्राप्त करने की समयसीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। निदेश दिया गया कि वैसे निकाय, जो 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिए है, वे ODF Verification करते हुए विभाग को सूचित करें तथा आवश्यक कागजात ODF Protocol के अनुसार तैयार रखा जाए ताकि QCI Team को Verification के लिए उपलब्ध हो।

(अनुपालन–सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

3.4 माननीय NGT द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिए गए आदेश के अनुपालन में सभी नगर निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 100% वार्डो में कचरे का पृथक्कीकरण एवं डोर–टु–डोर कचरे का उठाव हेतु दिनांक अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 निर्धारित किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी नगर निकाय इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालन–सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

3.4 सभी शहरी निकायों द्वारा Centralized/Decentralized Method से गीले एवं सूखे कचरे का प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना एवं कार्यरत करने हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 निर्धारित किया गया है, जिसके तहत गीले कचरे के लिए कम्पोस्ट पीट का निर्माण कर कम्पोस्टिंग कार्य प्रारंभ करना तथा सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिए मेटेरियल, रिकवरी फैसेलिटी सेंटर का निर्माण किया जाना है। निदेश दिया गया कि उक्त कार्यों को समयसीमा के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

4. मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना :

4.1 मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के शत–प्रतिशत कार्यान्वयन हेतु विभिन्न नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची के अनुरूप ऐसे सभी नगर निकायों, जिन्होंने वांछित प्रपत्र में विभाग को सूची प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है एवं उस प्रतिवेदन पर विभागीय अनुमति दे दी गयी है, को अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

4.2 शेष बचे सभी नगर निकायों को निदेशित किया गया कि विभाग के पत्र के आलोक में दो दिनों में वांछित प्रपत्र में शीघ्र योजनाओं की सूची उपलब्ध करा दें अन्यथा यह समझा जायेगा कि पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् उनके नगर निकाय में सभी वार्डों का शत–प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित हो जाएगा। **(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

4.3 पटना नगर निगम के प्रतिनिधि को प्राक्कलित राशि/स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्तीय उपलब्धि के संबंध में वांछित प्रपत्र में सूचना तुरन्त उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। विदित हो कि पटना नगर निगम एक मात्र निकाय है, जिन्होंने वित्तीय उपलब्धि के संबंध में अपना प्रतिवेदन अबतक नही उपलब्ध कराया है। सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि हर हालत में कार्य योजना सहित नाली–गली पक्कीकरण योजना के पूर्णता (सभी वार्डों को संतृप्त होने संबंधी) का Time-line अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए। **(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

4.4 कतिपय निकायों के द्वारा विभिन्न अवयवों के संबंध में पृच्छा की गई, जिस पर नोडल पदाधिकारी एवं उप सचिव द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए उनके द्वारा चयनित पूर्व की योजनाओं को कार्यान्वित कर सभी वार्डों की संतृप्तता के साथ मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :

5.1 PMAY(U) के BLC घटक में स्वीकृत लाभुकों का MoHUA के पोर्टल पर DPR से संबद्ध करने के बाद ही MoHUA, भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में रा ि । विमुक्त किया जाता है। बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि BLC घटक में स्वीकृत 2,95,389 आवासीय इकाईयों के विरूद्ध केवल 1,88,690 आवासीय इकाईयों में ही भारत सरकार द्वारा राशि की विमुक्ति की गई है। इस संबंध में नगर निकायों को निदेश दिया गया कि स्वीकृत परियोजनाओं में या तो शत–प्रतिशत लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल PMAY-MIS पर अगले 3 कार्य दिवस में DPR से संबद्ध किया जाए अथवा आयोग्य लाभुकों को प्रत्यर्पित किया जाए।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/SLTC)

5.2 वैसे नगर निकाय, जिनके द्वारा पूर्व में PMAY(U) के BLC घटक में स्वीकृत लाभुकों का Gender एवं Caste से संबंधित Annexure 7C विभाग को समर्पित किया गया था, लेकिन संबंधित निकाय द्वारा MIS पोर्टल पर 7C से भिन्न Gender एवं Caste की प्रविष्टि की गई है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं में नकारात्मक राशि विमुक्त की जा रही है। इस संबद्ध में निदेश दिया गया कि संबंधित नगर निकाय जल्द से जल्द संशोधित 7C विभाग को समर्पित करें।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

5.3 PMAY(U) के BLC घटक में अबतक स्वीकृत परियोजनाओं में वित्तीय वर्श 2017–18 एवं 2018–19 का UC नगर निकायों में लंबित रहने के कारण MoHUA, भारत सरकार द्वारा राशि की विमुक्ति

नही की जा रही है। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 16.03.2020 से 19.03.2020 के बीच नगर निकायवार रोस्टर के अनुसार विभाग में कैम्प आयोजित कर विभागीय योजनाओं का UC प्राप्त किया जाए।

(अनुपालन–श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव)

5.4 PMAY(U) के BLC घटक में 24 परियोजनाओं में स्वीकृत 17547 आवासीय इकाईयों के विरूद्व नगर निकायों द्वारा किसी भी लाभुक को कार्यादे । निर्गत नही किया गया है। इस संबंध में संबंधित नगर निकायों के पदाधिकारियों को निदे । दिया गया कि कैम्प आयोजित कर लाभुकों को शीध्र कार्यादेश निर्गत किया जाए। **(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

6. हर घर नल जल निश्चय योजना :

6.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न नगर निकायों के 73 वार्डो में अभी तक नल जल योजना की निविदा का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। साथ ही विभिन्न नगर निकायों के 415 वार्डो में अभी तक कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। उक्त स्थिति पर अत्यंत चिन्ता व्यक्त किया गया। संबंधित नगर निकायों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कराया जाए तथा जिन निकायों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहाँ 02 दिनों के अंदर हर हालत में कार्य प्रारंभ कराया जाए। **(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

6.2 नगर परिषद, बेनीपुर, एवं नगर पंचायत रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा उक्त योजना से संबंधित निविदा का तकनीकी बिड BUIDCO में लंबित होना बताया गया। फारबिसगंज के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 10 वार्डो के प्राक्कलन का T.S अभी तक BUIDCo से नहीं मिलने के कारण निविदा का कार्य नही हो पा रहा है। कसबा के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी 07 वार्डो के प्राक्कलन का T.S/B.O.Q तथा 03 वार्डो के निविदा का C/S भी BUIDCo मे लंबित होना प्रतिवेदित किया गया। कुछ कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा निविदा में संवेदको द्वारा भाग नही लेने के कारण बार–बार पुनर्निविदा की समस्या के संबध बताया गया।

उक्त स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए बैठक मे उपस्थित BUIDCO के पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि नगर निकायों के नल जल योजना से संबधित सभी T.A/T.S तथा निविदा का निस्तार प्राथमिकता के आधार पर तुरंत किया जाए। साथ ही नगर निकायों में बार–बार पुनर्निविदा की समस्या के सम्यक निराकरण हेतु संबधित कार्यपालक अभियंताओं को स्पष्ट निदेश BUIDCO के स्तर से निर्गत करने का निदेश दिया गया। साथ ही विभाग को भी प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी/GM, Finance, BUIDCO)

6.3 बैठक में यह बताया गया कि मुख्यमंत्री हर घर नल जल निश्चय योजना के अर्न्तगत सभी 142 नगर निकायों के कुल 3370 लक्षित वार्डो के 1585400 घरों में से अभी तक 653004 घरो में ही जलापूर्ति का कार्य हुआ है, जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 41.18 % है। इस योजना को 31 मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। निदेश दिया गया कि उक्त योजना को निर्धारित Timeline के अंदर हर हालत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त/सभी कार्यपालक पदाधिकारी)

7. जल–जीवन–हरियाली योजना :

7.1 निर्देश दिया गया कि जल–जीवन हरियाली योजना के तहत नगर निकायों के स्वामित्व वाले अतिक्रमणमुक्त पोखर/तालाबों में घाट एवं पाथवे का निर्माण विभाग द्वारा संसूचित मॉडल

प्राक्कलन के अनुसार यथाशीघ्र कराया जाए तथा जिन पोखरों/तालाबों पर अतिक्रमण है तो उसे जिला पदाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी से समन्वय कर अतिक्रमणमुक्त कराकर इस योजना का कार्यान्वयन ससमय कराया जाए।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त/सभी कार्यपालक पदाधिकारी)

7.2 निदेश दिया गया कि जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत (i) नगर निकायों के स्वामित्व वाले भवनों में Rain Water Harvesting System (ii) नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत अतिक्रमणमुक्त कुँओं के पास सोख्ता निर्माण तथा यदि आवश्यक हो तो जीर्णोद्धार (iii) नगर निकायों के स्वामित्व वाले 25000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले खुले मैदानों में सोख्ता निर्माण (iv) नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत प्याऊ/Stand Post/चापाकल के पास सोख्ता निर्माण कराया जाए। इस संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा दिशा–निर्देश भेजे गये हैं तथा इससे संबंधित मॉडल प्राक्कलन भी उपलब्ध कराये गये है तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि भी सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। विभिन्न बैठकों एवं VC के माध्यम से भी योजना के तहत सभी कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु निदेशित किया जाता रहा है, लेकिन समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अधिकांश नगर निकायों में इस योजना की प्रगति असंतोषजनक है। सभी नगर निकायों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस योजना के तहत सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही विभागीय दिशानिदेश के आलोक में क्या कार्रवाई की गई है, इससे संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजें।

(अनुपालन–सभी नगर आयुक्त/सभी कार्यपालक पदाधिकारी)

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात वीडियो कांफ्रेंस की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

ह0/–
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–..न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/सभी मुख्य अभियंता, बुडको/महाप्रबंधक (Finance), बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–36/क्षे0 कै0.........न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 19/3/2020.

प्रतिलिपि–सभी विभागीय पदाधिकारी/विभागीय अभियंत्रण कोषांग/TCPO/Team Leader, SLTC/Team Leader, NULM-PMC/MIS Cell/SPMG Team/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/20
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग